यह निरीक्षण आख्या कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी, रूद्रप्रयाग** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, रूद्रप्रयाग के अवधि माह 12/2014 से 03/2016 तक के लेखा–अभिलेखों का लेखापरीक्षा श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक एवं श्री गौरव पंत, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 04.04.2016 से 18.04.2016 तक श्री सुशान्त रजंन, सहायक महालेखाकार के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित संप्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग–प्रथम

अ. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा सुश्री मानसी जैन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री बृज भूषण मणि त्रिपाठी लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 09.12.2014 से 20.12.2014 तक श्री बी.एस. चन्देल, वरिष्ठ लेखापरीक्ष अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी। जिसमें माह के माह 05/2008 से 11/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान में माह 12/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. **विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्यायाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा :**

श्री हर्षवर्धन भट्ट	प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी	01.12.2014 से 23.06.2015
श्री सुरेन्द्र लाल	–तदैव–	24.06.2015 से वर्तमान तक

ब. विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तर की स्थिति : अप्रस्तुत है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वर्ष	प्रस्तर संख्या		
	भाग–2 अ	भाग–2 ब	STAN
49/2008–09	1, 2, 3, 4, 5, 6	.....	-----
130/2014–15	–	1	1

स. सतत् अनियमिततायें – शून्य

द. अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित) – अनुपालन आख्या

य. बजट :

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	आयोजनेत्तर		आयोजनागत		बचत
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आयोजनागत
2013—14	232.03	232.03	723.11	723.11	.....
2014—15	251.96	251.96	1405.82	1195.82	210
2015—16	154.47	154.47	1276.98	1276.98	.....

भाग - II (ब)

प्रस्तर 1 :- ग्रान्ट का अवरोधन धनराशि ` 76.92 लाख

विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवन के कारण 76.92 लाख की धनराशि का अवरुद्द रखना तथा 06 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी निर्माण कार्य का अपूर्ण रहना।

शासन के संख्या : 220/ XVII (1)/11-42 (प्रकोष्ठ)/2007 देहरादून दिनांक 07-06-2011 के अनुसार 'आवस्थापना सुविधाओं के विकास' के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में बहुद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की मद का विस्तार करते हुये अनुसूचित जाति/ जनजाति के शिल्पियों द्वारा उत्पादित सामग्री की बिक्री तथा उनके अल्पावासआदि के उद्देश्य से जिला मुख्यालयों पर बहुद्देशीय भवन निर्माण किए जाने की व्यवस्था करते हुये शासनादेश के बिन्दु संख्या- 11 पर इन भवनों के निर्माण किए जाने हेतु सिंचाई विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया लेकिन आदेश संख्या 520/XVII(1)/11-42 (प्रकोष्ठ)/2007, देहरादून दिनांक 21-12-2011 पूर्व में जारी शासनादेश दिनांक 07-06-2011 के बिन्दु संख्या- 11 को निरस्त समझते हुये इन कार्यों के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था का निर्धारण जिलाधिकारी के स्तर से किया जायेगा।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, रूद्रप्रयाग के आवस्थापना सुविधाओं के विकास की नमूना जाँच के समय यह देखा गया कि समाज कल्याण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा न्यू बस अड्डा पुनद में नॉन ज़ेड ए॰ खाता संख्या 124 के खसरा संख्या 2590 मध्ये 0.020 है॰ भूमि पर डा॰ अम्बेडकर बहुद्देशीय भवन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था जिसमें भूतल पर शिल्पियों हेतु दुकान, प्रथम तल पर कार्यशाला तथा प्रशिक्षण एवं गोष्ठियों हेतु वृहद कक्ष (हाल) तथा द्वितीय तल पर अल्प विश्राम गृह एवं कार्यालय का निर्माण किया जाना था। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त भवन के निर्माण हेतु ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, रुद्रप्रयाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया। जिसकी प्रारम्भिक लागत ` 117.07 लाख रखी गयी जिसके सापेक्ष प्रथम किश्त वर्ष 2010-11 में ` 3846000/- तथा द्वितीय किश्त वर्ष 2011-12 में ` 3846000/- कुल धनराशि ` 7692000/- जारी किए गए। साथ ये निर्देशित किया गया कि कोषागार से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जाएगा जितनी तत्काल कार्यदायी संस्था को आवश्यकता हो। किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते/ पोस्ट आफिस के खाते मे न रखा जायेगा। जबकि विभाग द्वारा उक्त धनराशि को चैक संख्या 952551 दिनांक 18-09-2013 के द्वारा कार्यदायी संस्था को इस आशय के साथ प्रेषित किया गया कि भवन का निर्माण कार्य अधिकतम छः माह के अन्दर पूर्ण

कराना होगा तथा प्रति माह भवन के कार्य की प्रगति नियमित रूप से विभाग को उपलब्ध करना अनिवार्य होगा। निर्माण एजेंसी द्वारा 11/2013 में भूमि का स्थलीय सत्यापन कराने पर भूमि को निर्माण कार्य हेतु अनुपयुक्त पाया गया। विभाग द्वारा 03/2016 तक भवन निर्माण हेतु उपयुक्त एवं पर्याप्त स्थल उपलब्ध न कराये जाने के कारण उक्त अवमुक्त धनराशि कार्यदायी संस्था के पास अनुपयुक्त पड़ी हुई है। कार्यदायी संस्था द्वारा न तो उक्त धनराशि का उपयोग किया जा रहा था और न ही इस धनराशि को वापस ही किया जा रहा था जिससे इस धनराशि का अन्यत्र उपयोग किया जा सके, जिससे स्पष्ट था कि विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवन के कारण 76.92 लाख की धनराशि (03/2016 तक) अनुपयोगी पड़ी हुई है एवं 06 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी बहुद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध नहीं हो पायी है।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में धनराशि आबंटित की गयी थी तथा यह धनराशि 11/2013 तक भारतीय स्टेट बैंक में जिला समाज कल्याण अधिकारी के खाता संख्या 112555543 में जमा थी। जिला मुख्यालय के आस पास सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु उपयुक्त जगह की तलाश जारी है। कार्यदायी संस्था को दो किश्तों में धनराशि जारी की गयी थी जिसकी वापसी हेतु प्रयास जारी है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग को यह निर्देशित किया गया था कि कोशागार से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जाएगा जितनी तत्काल आवश्यकता हो लेकिन विभाग द्वारा कोषालय से धनराशि निकाल कर वर्ष 2010-11 से 09/2013 तक बैंक खाते में रखा गया उसके पश्चात पूरी धनराशि कार्यदायी संस्था को 18/09/2013 में प्रदान कर दी गयी जबकि आवश्यकतानुसार धनराशि प्रदान किया जाना था जो शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया गया। सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु उपयुक्त जगह की तलाश अभी जारी है और विभाग द्वारा 11/2013 से उपयुक्त एवं पर्याप्त स्थल कि उपलब्धता के बिना कार्यदायी संस्था से धनराशि को प्राप्त किए जाने हेतु अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट था कि विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवन के कारण ` 76.92 लाख की धनराशि (03/2016 तक) अनुपयोगी पड़ी हुई है एवं 06 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी बहुद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध नहीं हो पाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग - II (ब)

प्रस्तर 2 :- अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना हेतु प्राप्त ग्रान्ट धनराशि ` 210 लाख के अनुपयोगी रहने से योजना के अंतर्निहित उद्देश्यों का अप्राप्त रहना।

अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु धनराशि का आबंटन वित्तीय स्वीकृति/ आयोजनगत संख्या: 646/ एक्सवीआईआई-4/2015-01(28)/2015 दिनांक 31-3-2015 के द्वारा जनपद को धनराशि ` 210.00 लाख की स्वीकृति विभिन्न कार्यों को करवाए जाने हेतु प्रदान की गयी। उक्त धनराशि को सी॰ डी॰ ओ॰ के पी॰एल॰ए॰ खाते में रखी जायेगी तथा स्वीकृत किए गए कार्यों के संबंध में जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार राशि का आहरण करके वितरण से पूर्व संबन्धित समाज कल्याण अधिकारी/ ब्लाक स्तरीय अधिकारी के माध्यम से यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना मे पूर्व से संचालित न हों एवं भूमि की उपलब्धता एवं योजना के भौतिक सत्यापन के पश्चात ही राशि का आहरण किया जाएगा। साथ ही स्वीकृत धनराशि का उपयोग योजनान्तर्गत संस्तुत कार्यों हेतु प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जायेगा किसी भी कार्य योजना हेतु प्रख्यापित एक्ट, निर्गत शासनादेशो की व्यवस्था अगले वित्तीय वर्ष में कोई धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी और न ही आगणन किसी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, रूद्रप्रयाग के लेखा अभिलेखो की नमूना जांच (अप्रैल 2016) में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभाग द्वारा उक्त धनराशि में से ` 110 लाख के 17 कार्यों को विधान सभा केदारनाथ में कराया जाना था विभाग द्वारा स्वीकृत 17 योजनाओं का निर्माण कार्य जिनकी लागत ` 110 लाख के लिए कार्यदाई संस्था सिंचाई खण्ड केदारनाथ को 01-12-2015 नामित किया गया। विधान सभा क्षेत्र रुद्रप्रयाग में ` 100 लाख के 33 कार्य कराये जाने हेतु आगणन 29-01-2016 को अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग को प्रेषित किए। लेकिन विभाग द्वारा भी इन कार्यों हेतु प्राक्कलनों की शासन से अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है जबकि विभाग द्वारा प्रत्येक दशा में उक्त कार्यों को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना था परन्तु अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, साथ ही प्राक्कलनों का अनुमोदन भी नहीं कराया गया है और न ही कार्यदायी संस्था के साथ एम॰ ओ॰ यू॰ का गठन किया गया है। विभाग द्वारा कार्यों को उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जाना था लेकिन विभाग द्वारा सम्प्रेक्षा तक कार्यों का

प्रारम्भ भी नहीं किया गया जो कि शासनादेशों का उल्लंघन था। जिससे स्पष्ट था कि विभाग के पास वर्ष के अन्त तक धनराशि ` 210 लाख अनुपयुक्त पड़े हुए हैं।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि विधान सभा क्षेत्र रुद्रप्रयाग के कार्यों हेतु जिला पंचायत रुद्रप्रयाग एवं विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के कार्यों हेतु सिंचाई खण्ड केदारनाथ को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। इन क्रयों को कार्ये जाने हेतु तकनीकी स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है और न ही कार्यदायी संस्था के साथ MOU का गठन किया गया है एवं निर्माण कर अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। शासन द्वारा इन योजनाओं का अनुमोदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

विभाग का उत्तर ही स्वंय संप्रेक्षा के आपत्ति कि पुष्टि करता है तथा अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना हेतु प्राप्त ग्रान्ट धनराशि ` 210 लाख के अनुपयोगी रहने से योजना के अंतर्निहित उद्देश्यों का अप्राप्त रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग - II (ब)

प्रस्तर 3 :- वृद्धावस्था पेन्शन योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थीयों को धनराशि ` 20.06 लाख का भुगतान न किए जाने से योजना के अंतर्निहित उद्देश्यों का अप्राप्त रहना।

वृद्धावस्था पेन्शन योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थी निम्न शर्तों को पूरा करता हो- (1) प्रार्थी की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो (2) वह BPL श्रेणी के अन्तर्गत आता हो अथवा उसकी मासिक आय 4000/- तक हो तथा उसका पुत्र/ पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु का न हो (3) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि ढाई एकड़ से अधिक न हो।

शासन के आदेश संख्या: --/ XVII-2/2011-39 (विविध)/ 2002 देहरादून दिनांक 11-3-2011 के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेन्शन का वितरण लाभार्थियों को छ: माह के स्थान पर त्रैमासिक के आधार पर वितरित किया जाए यह निर्णय इस कारण से लिया गया कि यदि लाभार्थी को उसकी आवश्यकता के अनुसार समय पर पेन्शन की धनराशि न मिले तो योजना का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है तथा प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश 18/XVII-2/14-01(10)/2006 दिनांक 21-1-2014 के द्वारा वृद्धावस्था पेन्शन की धनराशि जनवरी 2014 से वृद्धी करते हुये ` 800/- प्रति माह किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी रुद्रप्रयाग की वृद्धावस्था पेन्शन योजना की नमूना जांच के समय यह देखा गया कि वर्ष 2015-16 में लाभार्थियों की संख्या 14298 के सापेक्ष 14089 को वर्ष में भुगतान किया गया जबकि शेष (14298-14089=209) 209 लाभार्थियों को धनराशि ` 20,06,400/- (209*800*12=2006400) भुगतान किया जाना अभी बाकी है जिससे स्पष्ट है कि भुगतान न किए जाने से लाभार्थी को उसकी आवश्यकता के अनुसार समय पर पेन्शन की धनराशि नहीं मिलने से योजना का उद्देश्य ही समाप्त हो गया।

आगे यह भी देखा गया कि विभिन्न ग्राम पंचायतों से प्राप्त लाभार्थियों के फार्मों की विभाग द्वारा भुगतान करते समय जाँच नहीं की गयी जिसमें ऐसे लाभार्थियों को पेन्शन भुगतान किया गया जिनके आवेदन पत्रों में आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अंकित नहीं था तथा ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर नहीं एवं जो आवेदक बीपीएल के नहीं थे उनके पुत्रों की आयु भी 20 वर्ष से अधिक

होने आदि कमी होने पर भी आवेदकों को भुगतान किया गया जिसका विवरण सलग्नक में दर्शाया गया है।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि लाभार्थियों को पेंशन स्वीकृत कर दी गयी है। शासन से धनराशि कम प्राप्त हुई थी जिससे भुगतान नहीं किया गया। शासन धनराशि प्राप्त करने हेतु मांग की गयी है तथा शासन से धनराशि अभी प्राप्त नहीं हुयी है राशि प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जाएगा।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि एक तरफ विभाग का कहना था कि लाभार्थियों को पेंशन स्वीकृत कर दी गयी है तथा शासन से धनराशि अभी प्राप्त नहीं हुयी है दोनों विरोधाभासी हैं धनराशि कम प्राप्त होने के कारण भुगतान नहीं किया गया एवं शासन से धनराशि कि मांग की गयी है। जो स्पष्ट करता है कि लाभर्थियों को पेंशन का भुगतान किया जाना अभी शेष है, भुगतान न किए जाने से लाभार्थी को उसकी आवश्यकता के अनुसार समय पर पेन्शन की धनराशि नहीं मिलने से योजना का उद्देश्य ही समाप्त हो जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

[

वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के आवेदन पत्रों में कमी का विवरण

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती	पिता/पति का नाम सर्वश्री	ग्राम का नाम	विकासखण्ड	लाभार्थी के फार्म में कमी
1	रामदेई देवी	रामलाल	स्यूर	जखोली	हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अंकित नहीं
2	जितारू लाल	बच्चू लाल	स्यूर	जखोली	–तदैव–
3	बच्ची देवी	भोपाल सिंह	तैला	जखोली	–तदैव–
4	रामप्रसाद	तारा दत्त	भणना	जखोली	ग्राम प्रधान की हस्ताक्षर नहीं
5	सैकड़ा नंद	गिरधर पुरोहित	कण्डाली	जखोली	–तदैव–
6	भूरीलाल	जहौरी लाल	तैला	जखोली	हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अंकित नहीं
7	अवतार सिंह राणा	भगत सिंह	कमेड़ा	अगस्तमुनि	ग्राम प्रधान की हस्ताक्षर नहीं
8	पीताम्बरी देवी	भवानी दत्त	मरगांव	अगस्तमुनि	बी.पी.एल. नही पुत्र की आयु 53 वर्ष
9	रणवीर सिंह	आलम सिंह	नारी	अगस्तमुनि	बी.पी.एल. नही पुत्र की आयु 30 वर्ष
10	जगदेश्वरी देवी	धनानन्द	टेमरिया (तल्ला)	अगस्तमुनि	बी.पी.एल. नही पुत्र की आयु 37 वर्ष

भाग - II (ब)

प्रस्तर 4 :- गौरादेवी कन्या धन योजना के धनराशि ` 60.50 लाख का अपात्र लाभार्थियों को भुगतान किया जाना। पात्र लाभार्थियों को ` 12.50 लाख का भुगतान न किया जाना।

उत्तराखंड शासन द्वारा वर्ष 2006 में गरीबी रेखा से जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति/ सामान्य वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उनकी बालिकाओं द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बालिका को उनके नाम से ` 25000/- संशोधित ` 50000/- अप्रैल 2014 से राष्ट्रीय बचत पत्र कन्या धन के रूप में उपलब्ध कराने की योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से आय का प्रमाण पत्र जिनकी वार्षिक आय ` 15976/- से कम हो तथा BPL प्रमाणपत्र खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापन करा कर एवं शहरी क्षेत्र में यह प्रमाणपत्र विभाग के सक्षम अधिकारी जिसका स्तर तहसीलदार से कम न हो संलग्न करना अनिवार्य होगा पूर्णकालित/ अंशकालिक/ विवाहित सेवायोजित छात्रा इस सेवा हेतु अहर्यता नहीं होगा।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत गौरादेवी कन्या धन योजना के अभिलेखों की नमूना जाँच करने पर यह पाया गया कि वर्ष 2014-15 में 198 आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे जिसके सापेक्ष 157 चयनित लाभार्थियों को @ ` 50000/- कि दर से भुगतान किया गया इसी प्रकार 2015-16 में 256 आवेदन प्राप्त हुये थे चयनित 223 आवेदनों के सापेक्ष 198 लाभार्थियो को भुगतान किया गया जबकि शेष 25 लाभार्थियो को धनराशि ` 1250000/- बजट प्राप्त न होने के कारण भुगतान नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट था कि योजना का उद्देश्य ही पूर्ण नहीं हो पाया।

आगे यह भी देखा गया कि अधिकृत BPL सूची संशोधित वर्ष 2012-13 विभाग द्वारा छात्रों को भुगतान किए गए बीपीएल न॰ की मिलान करने पर उनके नामों एवं सूची में उनके बीपीएल क्रमांक अधिकृत बीपीएल सूची में नहीं थे जिसका विवरण निम्नवत है:-

वर्ष	भुगतान किए गए लाभार्थियों की संख्या	BPL सूची से मेल न खाये गए लाभार्थियों की संख्या	प्रति लाभार्थी को दी गयी धनराशि	भुगतान की गयी धनराशि कालम (3*4)	BPL सूची में सम्मिलित न किए गए लाभार्थियों की संख्या	भुगतान की गयी धनराशि कालम (4*6)	कुल धनराशि कालम (5+7) का योग
1	2	3	4	5	6	7	8
2014-15	156	22	50000	1100000	09	450000	1550000
2015-16	198	64	50000	3200000	26	1300000	4500000
कुल योग				**4300000**		**1750000**	**6050000**

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि फार्मों कि जाँच विकास खण्ड स्तर से कि जाती है बीपीएल सूची में सम्मिलित न किए गए लाभार्थियों वर्ष 2014-15 में 09 तथा 2015-16 में 26 का पुनः मिलान कर अवगत कराया जाएगा। कॉलम क्र॰ 3 की कतिपय छात्राएं ऐसी भी है जो अपने विकास खण्ड से भिन्न दूसरे विकास खण्ड में अपने रिशतेदारों के यहाँ पढ़ रही है। वर्ष 2015-16 के अवशेष 25 बालिकाओं हेतु ` 12.50 लाख की धनराशि की मांग शासन से की गयी है धनराशि आबंटित न होने के कारण लाभार्थियों को भुगतान नहीं किया जा सका।

विभाग का उत्तर ही स्वंय संप्रेक्षा के आपत्ति कि पुष्टि करता है तथा गौरादेवी कन्या धन योजना के धनराशि ` 60.50 लाख का अपात्र लाभार्थियों को भुगतान किए जाने एवं पात्र लाभार्थियों को ` 12.50 लाख का भुगतान न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग - II (ब)

प्रस्तर 5 :- अटल आवास योजना के अंतर्गत दूसरी किश्त धनराशि ` 3.72 लाख भुगतान न किया जाना।

अटल आवास योजना के अंतर्गत उन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जाना था जिनको इन्दिरा आवास दीनदयाल आवास क्रेडिट कम सब्सिसिडी आवास योजना तथा शासकीय आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने से वंचित रह गए हों। योजना का मुख्य उद्देश्य SC/ST के परिवारों को शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त करते हुये अवसीय सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के अन्तर्गत SC/ST परिवारों को भोगोलिक रूप से दो क्षेत्रों मेंविभाजित किया गया था प्र्वतीय और मैदानी क्षेत्र, योजना का लाभ उन्ही परिवारों को दिया जाना था जिनकी वार्षिक आय ` 32000/- व भूमि स्वंम की होगी आवास का कुल क्षेत्र न्यूनतम 20 वर्ग मीटर होना अनिवार्य है योजना के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र के परिवारों को ` 38500/- एवं मैदानी क्षेत्र के परिवारों को ` 35000/- की धनराशि दो किश्तों में देनी थी जिसमें प्रथम किश्त ` 23000/- तथा दूसरी किश्त का भुगतान भवन का कार्य पूर्ण एवं शौचाल्य अनिवार्य रूप से निर्माण होने के पश्चात खंड विकास अधिकारी के द्वारा भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट देने के पश्चात जारी की जाएगी।

अटल आवास योजना के अभिलेखों की नमूना जांच माह 03/2016 में यह देखा गया कि विगत तीन वर्षों में कुल 24 केस ऐसे थे जिनकी दूसरी किश्त का भुगतान ` 3.72 लाख का भुगतान नहीं किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

वर्ष	**लक्ष्य**	**प्रथम किश्त की संख्या**	**द्वितीय किश्त की संख्या**	**अवशेष किश्त**	**अवशेष किश्त की धनराशि (प्रति किश्त ` 15500/-)**
2013-14	85	85	75	10	155000

2014-15	19	15	11	04	62000
2015-16	10	10	शून्य	10	155000
कुल योग					**372000**

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि अटल आवास योजना के आवासों को तीन माह में पूर्ण किया जाना था। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाता है एवं जिन लाभार्थियों से प्रथम किश्त का उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाते हैं तथा विकास खण्ड स्तर कार्य पूर्ति विवरण प्राप्त होने पर ही द्वितीय किश्त जराइ की जाती है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग का यह मानना था कि आवासों को तीन माह में पूर्ण किया जाना था लेकिन 2013-14 से 2015-16 की अवधि में दी गयी प्रथम किश्त का उपभोग नहीं किया गया जिससे स्पष्ट है कि विभाग द्वारा प्रथम किश्त जारी करने के पश्चात खण्ड विकास स्तर से कोई सत्यापन नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप विगत तीन वर्षों में कुल 24 केसों को दूसरी किश्त का भुगतान ` 3.72 लाख का भुगतान नहीं किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निरकारण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से **जिला समाज कल्याण अधिकारी, रूद्रप्रयाग** को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)